प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 28.06.2026

- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 415/2025 धारा 108 BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात में वाँछित था अभियुक्त ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा वादिनी श्रीमती रीता तिवारी पत्नी स्व0 शिवगणेश निवासिनी 238 दीनदयाल नगर पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर बाबत राजेश द्विवेदी पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम हासा, कदौरा थाना कदौरा जनपद जालौन से चन्द्र प्रकाश पुत्र अहिवरन सिंह यादव निवासी नगर पालिका रोड वन विभाग के सामने पुखराया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को सन् 2022 में कुछ रूपये उधार दिलाने में वादिनी के पति शिवगणेश के द्वारा मदद करने तथा चन्द्र प्रकाश की नीयत में खोट आ जाने पर पैसा मागने पर पैसा न देने और राजेश द्विवेदी पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम हासा, कदौरा थाना कदौरा जनपद जालौन अपने साथियों के साथ वादिनी के पति को घर व दुकान पर जाकर धमकाने कि मेरा पैसा व ब्याज का पैसा दे दो वरना जीना हराम कर देंगे तुम्हें व तुम्हारें परिवार को खत्म कर देंगे जबकि वादिनी के पति द्वारा पूरा पैसा देने के बावजूद भी राजेश द्विवेदी ने मनमाना ब्याज व अत्यधिक रकम की मांग करना, इसी उत्पीडन के कारण दिनांक 17.12.2025 को वादिनी के पति शिवगणेश के द्वारा तेजाब पी लेना और इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना व पति की जेब से एक सुसाइड नोट प्राप्त होने के सम्बन्ध में दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 19.12.2025 को थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 415/2025 धारा 108 बीएनएस बनाम राजेश द्विवेदी, चन्द्र प्रकाश, राजेश द्विवेदी उपरोक्त व अन्य साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 28.06.2026 को 01 वांछित अभियुक्त राजेश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी ग्राम हांसा थाना कदौरा जनपद जालौन को मवई रोड पर भूप सिंह के ढाबा के सामने पुलिया से 20 कदम की दूरी पर ग्राम हांसा थाना कदौरा जनपद जालौन से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. राजेश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी ग्राम हांसा थाना कदौरा जनपद जालौन उम्र करीब 61 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 17/2004 धारा 13 जी एक्ट थाना कदौरा जनपद जालौन,
2. मु0अ0सं0 04/2006 धारा 13 जी एक्ट थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात,
3. मु0अ0सं0 415/2025 धारा 108 बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह चौकी प्रभारी पुखरायाँ,
2. का0 534 हर्ष चौधरी,
3. रि0का0 126 अनुज कुमार,